

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर 302033

कमांक:-प.1(प्रति-2)/से.नि./04/2021/

दिनांक:-

-:आदेश:-

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 जयपुर दिनांक 24 मई 2004 के अनुदेशों के तहत इस विभाग के अधीन पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (परिचारक) द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न बाद राज्य सेवा से सेवा निवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदनाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री लल्लू राम, च. श्रै. कर्म.(परि.)	श्री नत्थू राम	राज. होम्यो. औषधालय, बहरोड अलवर	अलवर	03.05.1962	31.05.2022
2	श्री बाबूलाल रावल च. श्रै. कर्म.(परि.)	श्री शंकर लाल जी	राज. होम्यो. औषधालय सा.चि.एक छत महावीर इंटरनेशनल के पास, डूंगरपुर	डूंगरपुर	13.07.1962	31.07.2022

नोट:-उक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(डॉ. रेणु बंसल)

निदेशक

दिनांक:-27-01-22

कमांक:-प.1(प्रति-2)/से.नि./04/2021/ 667-75

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर ।
6. चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बहरोड अलवर / "एक छत महावीर इंटरनेशनल के पास, डूंगरपुर को दी जाकर लेख है कि संबंधित परिचारक को उक्तानुसार सेवानिवृत्ति दिनांक को सेवा निवृत्त कर इस कार्यालय को सूचित करें ।
7. नॉडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. सम्बन्धित परिचारक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) श्री.....औषधालय..... को दी जाकर लेख है कि पेंशन कुलक मय आवश्यक अभिलेखों के पूर्ती पश्चात यथासमय कार्यालय को प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा/स्टोर शाखा/सामान्य शाखा/ रक्षित पत्रावली ।

निदेशक